

तारी  
तो  
तामि

क्र. 52/21  
2021/154

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
नरमणी कान्त लोपदी

नम्बर व ता  
अहकाम जो  
हुक्म की त  
जारी हुए

2  
24

पत्रावली पेठा इरी वारी अधिवक्ता  
उपस्थित नहीं है। वारी अधिवक्ता  
को न्यायालय समय में कर वार  
आपण लजावरी गरि एते न्यायालय  
कार्य लमावरी तउ वारी अधिवक्ता  
एवं वकील गडा भी उपस्थित नहीं  
हूये।

अतः उक्ता अदालत हाजरी अदालत  
पेठकी में खारीज किया जाता है।  
उक्ता इसी त्तर पर फौजदारी मुद्दा  
दोष नम्बू के वक्त है।

W

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाडा)